राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के अंकेक्षण 4/2008 से 3/2013 में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

क्र0सं0	पैरा सं0	आपति का संक्षिप्त सार	राशि
1	6	बैंक द्वारा बचत खाते पर कम ब्याज लगाना	₹187728
2	7	शिक्षण शुल्क को कम जमा करवाने बारे	₹150
3	10	कार्यालय व्यय का भुगतान छात्र निधियों से करने बारे	₹51422
4	11	छात्र निधियों से अनुचित भुगतान	₹3402
5	12	ट्रैक सूट की खरीद पवर अधिक भुगतान	₹13585
6	14	रसायनों की खरीद पर अधिक भुगतान	₹14317
7	15	बिना औपचारिकताओं के डी0पी0एल0 को भुगतान	₹8880
8	18	स्टील रौड फ्रेम बनाने पर अधिक भुगतान	₹2604
9	20	फर्नीचर खरीदने पर अधिक भुगतान	₹750
10	21	भुगतान राशि से कम रसीदें प्रस्तुत करना	₹35200
11	22 (2)	आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा बिल भुगतान हेतु पारित न करने पर अदायगी	₹1000

राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर, जिला हमीपुर के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2012

भाग–एक

1 **गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 7/65 से 3/2003 तक जारी विभिन्न अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाई गई अत्याधिक अनिर्णीत आपत्तियों के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है, संस्था के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताओं को अंकेक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से संस्थाध्यक्ष को इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का शीध्र निस्तारण किया जाए तथा भविष्य में उनकी पुनरावृति न हो। लेकिन गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर आपेक्षित कार्यवाही न करके बारम्बार उन्ही अनियमितताओं की पुनरावृति हो तो अंकेक्षण का महत्व ही समाप्त हो जाता है। अतः अनुपालना हेतु पुनः अनुरोध है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाये गये। निम्न वर्णित अनिर्णीत पैरों का शीध्र पूर्ण निपटारा किया जाए।

मामला आवश्यक उचित कार्यवाही किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी विशेष रूप से लाया जाता है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/65 से 1/66

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–10	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2/66 से 11/66

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
5	पैरा–7	अनिर्णीत
6	पैरा–10 (ए से सी)	अनिर्णीत
7	पैरा–12	अनिर्णीत
8	पैरा–13 (ए व बी)	अनिर्णीत
9	पैरा–15	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/66 से 9/72

1	पैरा–4 (क) (1, 2)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (क) (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (एल) (1)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (एम व एन)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (पी)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (क्यू) (1, 2)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (आर, एस, टी)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (ए, बी, सी)	अनिर्णीत
9	पैरा–7 (ए व बी)	अनिर्णीत
10	पैरा–8	अनिर्णीत
11	पैरा–10 (ए व बी)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (ए व बी)	अनिर्णीत
13	पैरा–13 (ए व बी)	अनिर्णीत
14	पैरा–13 (ई)	अनिर्णीत
15	पैरा–16 (1, 3 व 4)	अनिर्णीत
16	पैरा–16 (सी, डी, व आई)	अनिर्णीत

17	पैरा–16 (डी से एल)	अनिर्णीत
18	पैरा–19 (बी व सी)	अनिर्णीत
19	पैरा–20 (ए व बी)	अनिर्णीत
20	पैरा–20 (सी)	अनिर्णीत

<u>(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/72 से 9/76</u>

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–14	अनिर्णीत
8	पैरा–15 (ए से जे))	अनिर्णीत
9	पैरा–16 (1 से 5 व 8)	अनिर्णीत
10	पैरा–17 (ए व बी)	अनिर्णीत
11	पैरा–18 (ए से डी)	अनिर्णीत
12	पैरा–19 (ए) (4)	अनिर्णीत
13	पैरा–19 (बी व सी)	अनिर्णीत
14	पैरा–20 (बी)	अनिर्णीत
15	पैरा–21	अनिर्णीत
16	पैरा–22 (ए) 2 व 3	अनिर्णीत
17	पैरा–22 (सी) (8) (ई)	अनिर्णीत
18	पैरा–22 (डी)	अनिर्णीत
19	पैरा–24	अनिर्णीत
20	पैरा–25 (4 से 6)	अनिर्णीत
21	पैरा–26	अनिर्णीत
22	पैरा–27 (ए से एल)	अनिर्णीत
23	पैरा–27 (एन)	अनिर्णीत

24	पैरा–27 (पी से टी)	अनिर्णीत
25	पैरा–28 (ए से से व ई)	अनिर्णीत
26	पैरा–28 (जी) (1, 2)	अनिर्णीत
27	पैरा–28 (एच, आई)	अनिर्णीत
28	पैरा–29 (ए, डी, ई, एफ, एच)	अनिर्णीत
29	पैरा–29 (आई) (1, 2)	अनिर्णीत
30	पैरा–29 (जे) (2)	अनिर्णीत
31	पैरा–29 (एल, एम)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/76 से 3/81

1	पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (सी से ई)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (एफ 1 से 3)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (एच से पी)	अनिर्णीत
5	पैरा–6	अनिर्णीत
6	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा–9 से 11	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–14	अनिर्णीत
10	पैरा–15 (ए व बी)	अनिर्णीत
11	पैरा–16	अनिर्णीत
12	पैरा–17 (बी)	अनिर्णीत
13	पैरा–19 (बी)	अनिर्णीत
14	पैरा–20 (ए)	अनिर्णीत
15	पैरा–20 (बी) 1 से 3	अनिर्णीत
16	पैरा–20 (सी) (1 से 3)	अनिर्णीत
17	पैरा–20 (डी)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/86

1	पैरा–4 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–12	अनिर्णीत
5	पैरा–13 (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
7	पैरा–15	अनिर्णीत
8	पैरा–16	अनिर्णीत
9	पैरा–17 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा–19 व 20	अनिर्णीत
11	पैरा–21 (4)	अनिर्णीत
12	पैरा–22	अनिर्णीत
13	पैरा–22 (बी)	अनिर्णीत
14	पैरा–25	अनिर्णीत
15	पैरा–26	अनिर्णीत
16	पैरा–27 (ए व बी)	अनिर्णीत
17	पैरा–28 (ए, सी, डी)	अनिर्णीत
18	पैरा–29	अनिर्णीत
19	पैरा–31 (ए से सी)	अनिर्णीत
20	पैरा–37	अनिर्णीत
21	पैरा–39 से 43	अनिर्णीत
22	पैरा–44 (ए)	अनिर्णीत
23	पैरा–44 (एफ से एच)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/90

1	पैरा–5 (2 से 5)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (13 व 14)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (17, 18 व 20)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (23)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (25, 27, 29, 30 व 32 से 34)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (37)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (42 से 44)	अनिर्णीत
8	पैरा–6	अनिर्णीत
9	पैरा–7	अनिर्णीत
10	पैरा–8	अनिर्णीत
11	पैरा–10	अनिर्णीत
12	पैरा–11	अनिर्णीत
13	पैरा–14	अनिर्णीत
14	पैरा–15	अनिर्णीत
15	पैरा–16 (बी से एफ)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

1	पैरा–4 (च व ज)	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

1	पैरा–4 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (घ व ङ)	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8 (क व घ)	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/95

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (1 से 4)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–10 (4)	अनिर्णीत
9	पैरा–10 (5)	अनिर्णीत
10	पैरा–11 (2)	अनिर्णीत
11	पैरा–11 (4)	अनिर्णीत
12	पैरा–11 (7)	अनिर्णीत
13	पैरा–11 (9)	अनिर्णीत
14	पैरा–11 (16)	अनिर्णीत
15	पैरा–11 (17) (1 से 4)	अनिर्णीत
16	पैरा–11 (18)	अनिर्णीत
17	पैरा–11 (19) (1 से 5)	अनिर्णीत
18	पैरा–11 (20)	अनिर्णीत
19	पैरा–11 (21)	अनिर्णीत
20	पैरा–11 (22)	अनिर्णीत
21	पैरा–11 (23)	अनिर्णीत
22	पैरा–11 (25)	अनिर्णीत
23	पैरा–11 (27)	अनिर्णीत
24	पैरा–11 (29)	अनिर्णीत
25	पैरा–11 (31)	अनिर्णीत
26	पैरा–12	अनिर्णीत
27	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत

28	पैरा—13 (ख)	अनिर्णीत
29	पैरा—14 (1)	अनिर्णीत
30	पैरा—14 (2)	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 सें 3/98

1	पैरा—6	अनिर्णीत
2	पैरा—7	अनिर्णीत
3	पैरा—8	अनिर्णीत
4	पैरा—9	अनिर्णीत
5	पैरा—10 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा—10 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा—10 (3)	अनिर्णीत
8	पैरा—10 (4)	अनिर्णीत
9	पैरा—10 (5)	अनिर्णीत
10	पैरा—10 (6)	अनिर्णीत
11	पैरा—10 (7)	अनिर्णीत
12	पैरा—10 (8)	अनिर्णीत
13	पैरा—10 (9)	अनिर्णीत
14	पैरा—10 (10)	अनिर्णीत
15	पैरा—10 (11)	अनिर्णीत
16	पैरा—10 (12)	अनिर्णीत
17	पैरा—11	अनिर्णीत
18	पैरा—12 (1)	अनिर्णीत
19	पैरा—12 (2)	अनिर्णीत
20	पैरा—12 (3)	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2000

1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (5)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (6)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (7)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (8)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (9)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (10)	अनिर्णीत
11	पैरा–4 (11)	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (12)	अनिर्णीत
13	पैरा–4 (13)	अनिर्णीत
14	पैरा–4 (14)	अनिर्णीत
15	पैरा–4 (15)	अनिर्णीत
16	पैरा–4 (16)	अनिर्णीत
17	पैरा–4 (17)	अनिर्णीत
18	पैरा–4 (18)	अनिर्णीत
19	पैरा–4 (19)	अनिर्णीत
20	पैरा–4 (20)	अनिर्णीत
21	पैरा–4 (21)	अनिर्णीत
22	पैरा–4 (22)	अनिर्णीत
23	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
24	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत
25	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत
26	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत
27	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत

28	पैरा—7 (1)	अनिर्णीत
29	पैरा—7 (2)	अनिर्णीत
30	पैरा—7 (3)	अनिर्णीत
31	पैरा—7 (4)	अनिर्णीत
32	पैरा—7 (5)	अनिर्णीत
33	पैरा—7 (6)	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा—4 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा—4 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा—4 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा—4 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा—4 (5)	अनिर्णीत
6	पैरा—4 (6)	अनिर्णीत
7	पैरा—4 (7) (क)	अनिर्णीत
8	पैरा—4 (7) (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा—4 (8)	अनिर्णीत
10	पैरा—4 (9)	अनिर्णीत
11	पैरा—4 (10)	अनिर्णीत
12	पैरा—4 (11)	अनिर्णीत
13	पैरा—4 (12)	अनिर्णीत
14	पैरा—4 (13)	अनिर्णीत
15	पैरा—4 (14)	अनिर्णीत
16	पैरा—5 (1)	अनिर्णीत
17	पैरा—5 (2)	अनिर्णीत
18	पैरा—6 (1)	अनिर्णीत
19	पैरा—6 (2)	अनिर्णीत
20	पैरा—6 (3)	अनिर्णीत
21	पैरा—6 (4)	अनिर्णीत
22	पैरा—6 (5)	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (4) (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (4) (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (6)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (8) (क)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (8) (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (9) (क से ग)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (10)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (13)	अनिर्णीत
11	पैरा–5	अनिर्णीत
12	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
13	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
15	पैरा–8 (4)	अनिर्णीत
16	पैरा–8 (5)	अनिर्णीत
17	पैरा–8 (6)	अनिर्णीत

(प) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (3) (क)	अंशतः निर्णीत
3	पैरा–4 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (8) (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (10) (क)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (10) (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (2) (क)	अनिर्णीत

9	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
10	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
11	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत
12	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत
13	पैरा–7 (5)	अनिर्णीत
14	पैरा–7 (6) (क)	अनिर्णीत
15	पैरा–7 (6) (ख)	अनिर्णीत
16	पैरा–7 (6) (ग)	अनिर्णीत

(फ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा–4 (2)	अंशतः निर्णीत
2	पैरा–4 (10)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (13)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (21) (क, ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (22)	अनिर्णीत
6	पैरा–7	अनिर्णीत
7	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा–9 (7)	अनिर्णीत
10	पैरा–9 (8)	अंशतः निर्णीत

(ब) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/04 से 3/05

1	पैरा–4 (1) (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (9) (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (10) (क)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (10) (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत

8	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत
9	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
10	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत

(भ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2008

1	पैरा–5	अनिर्णीत	
2	पैरा–6	निर्णीत	(₹70/– की वसूली करके रसीद संख्या 0420823 दिनांक 10.7.09 को जमा करवा दी गई)
3	पैरा–7	अनिर्णीत	
4	पैरा–8	अनिर्णीत	
5	पैरा–9	निर्णीत	(₹1007/–की वसूली करके रसीद संख्या 0420810 दिनांक 27.6.2009 को जमा करवा दी गई)
6	पैरा–10	निर्णीत	(₹140/– व ₹108/– की वसूली करके 14.'5.09 व 7.5.09 को जमा करवा दी गई।)
7	पैरा–11	अनिर्णीत	
8	पैरा–12	अनिर्णीत	
9	पैरा–13	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवही कर ली गई है)
10	पैरा–14	अनिर्णीत	
11	पैरा–15 (क)	निर्णीत	(₹1085/–की वसूली रसीद संख्या 0420412 दिनांक 4.6.2009 के द्वारा कर ली गई है)
12	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा–16	निर्णीत	(₹2220/– की वसूली रसीद संख्या 420819 दिनांक 7.7.2009 के द्वारा कर ली गई है)
14	पैरा–17	निर्णीत	(₹20/–की वसूली रसीद संख्या 0420412 दिनांक 4.6.209 के द्वारा कर ली गई है तथा शेष 23 विवरण पुस्तिकाओं की राशि जमा

			करवाने बारे स्पष्टीकरण दे दिया गया है।)
15	पैरा–18	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त किया गया।)
16	पैरा–19	अनिर्णीत	

(भ) लघु आपत्ति विवरणीः–

	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि	अनिर्णीत मदें
1	7/65 से 1/66	6,9, 11, 12, से 15, 17, 18, 20, 24, 26 से 36, 38 से 51 व 54 से 63
2	2/66 से 11/66	1 से 12, 14 से 22, 43 (ए) 44 से 47
3	12/66 से 9/72	1 से 14 व 17 से 33
4	10/72 से 9/76	1, 2 (ए से डी) 3 से 7
5	10/76 से 3/81	2, 3 (ए से डी) 4, 5 (बी) 6, 8, 9, 11 (ए से डी) व 12

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के छात्र निधि लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, अवधि 4/2008 से 3/2012 तक श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री विद्यासागर लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.2.2013 से 3.4.2013 तक हमीरपुर में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। लेखाओं की विस्तृत जांच के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2008–09	6/2008	6/2008
2009–10	10/2009	2/2010
2010–11	6/2010	11/2010
2011–12	6/2011	3/2012

अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति को संस्थाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जॉच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

संस्था के छात्र निधि लेखाओं अवधि 4/2008 से 3/2012 तक के अंकेक्षणशुल्क का आंकलन ₹28000/– अठाईस हजार रूपये किया गया जिसे संस्था द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 927731 दिनांक 22.4.2013 के द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

1 संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई छात्र निधि लेखाओं अवधि 4/2008 से 3/2012 तक की वित्तीय स्थिति का निधिवार विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट (क) पृष्ठ 1 व 2 में दिया गया है।

2 वित्तीय स्थिति में समिश्रित निधि की कैश बुक व बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 31.3.2012 को अन्तिम शेष में ₹92903.00 की राशि का अन्तर दर्शाया गया है जिस का विस्तृत विवरण व बैंक समाधान विवरणी परिशिष्ट (ख) में दिया गया है।

3 समिश्रित निधि की कैश बुक में दिनांक 31.3.2012 को अन्तिम शेष में सावधि जमा निवेश को नहीं दर्शाया गया जबकि सावधि जमा निवेश को अन्तिम शेष में दर्शाया जाना अपेक्षित था परिणामस्वरूप समिश्रित निधि का दिनांक 31.3.2012 को अन्तिम शेष सही व वास्तविक वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाता। इस प्रकार संस्था का दिनांक 31.3.2012 को वास्तविक अन्तिम शेष निम्न प्रकार से थाः–

	(₹)
कैश बुक के अनुसार अन्तिम शेष सावधि जमा में निवेश जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट (ग) में दिया गया है।	13927122
वास्तविक अन्तिम शेष	11425033
	25352155

(4) परिशिष्ट (ख) बैंक समाधान विवरणी में संस्था द्वारा ₹19531/–की राशि बैंक पेमैन्ट के रूप में दर्शायी है जबकि इस राशि से सम्बन्धित चैक दिनांक 1.6.2011 से पूर्व जारी किये गये थे लेकिन प्राप्तकर्ता द्वारा बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत न करने के कारण ये चैक जारी होने की तिथि के 6 माह के उपरान्त कालातीत हो गये थे जिस की राशि को पुनः रोकड़ वही के आय पक्ष में लिया जाना आपेक्षित था लेकिन संस्था द्वारा वर्तमान अंकेक्षण अवधि तक रोकड़ वही में जमा नहीं किया है जिसके कारण उपरोक्त राशि से रोकड़ वही के योग कम दर्शाये गये है। अतः आपेक्षित कार्यवाही करके रोकड़ वही में सुधार किया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाऐं।

5 सावधि निवेशः–

(क) संस्था द्वारा दिनांक 31.3.2012 को ₹11425033.00 की राशि का सावधि निवेश समिश्रित निधि से किया गया, जिस का विस्तृत विवरण परिशिष्ट (ग) में दर्शाया गया है। अतः सावधि जमा निवेश की परिपक्वता होने पर पुनः निवेश समय पर करना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा दिनांक 31.3.2012 को ₹14020025.00 की राशि को बैंक के बचत खाते में ही रखा है तथा यह राशि गत वर्षों से शेष चली आ रही है। बचत खाते में इतनी अधिक राशि का रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए अधिक्य के रूप में चली आ रही शेष राशि , जिसकी 6 मास से 1 वर्ष या अधिक समय के लिए आवश्यकता नहीं है, का सावधि निवेश किया जाना आपेक्षित था जिससे छात्र निधि में अधिक आय प्राप्त होती तथा अधिक ब्याज की आय से वंचित भी नहीं होना पड़ता। इतनी बड़ी राशि दीर्धकाल से बचत खाता में ही निवेशित किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट करें व उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता से अधिक राशि का निवेश सावधि जमा में करना अविलम्ब सुनिश्चित किया जाए ताकि संस्था को ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित हो सके व अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित न होना पड़े। कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधि जमा में निवेश की राशि की परिपक्वता पर अर्जित ब्याज को कैश बुक में आय के रूप में नहीं दर्शाया गया जो कि गम्भीर अनियमितता है। सावधि जमा निवेश से अर्जित ब्याज को समय–2 पर नियमानुसार कैश बुक में आय के रूप मे दर्शाया जाए ताकि संस्था के लेखों की सही स्थिति स्पष्ट हो सके व इस विभाग को अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

6 **बैंक द्वारा बचत खाते पर ₹187728/– का कम ब्याज लगाने बारेः–**

अंकेक्षण में पाया गया कि समिश्रित निधि के बचत खाता संख्या 20063030590 में कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित द्वारा अवधि 1.3.2010 से 31.8.2010 तक दिनांक 31.8.2010 को कुल ₹24432/–की राशि का ब्याज लगाया गया था जबकि इस अवधि के दौरान इस बचत खाते में दिनांक 9.4.2010 को न्यूनतम ₹10452886/– की राशि शेष थी तथा दिनांक 2.8.2010 को अधिकतम ₹12612274/– की राशि शेष थी। इस प्रकार इस अवधि के दौरान इस खाते में जमा राशि के दृष्टिगत बहुत ही कम ब्याज लगाया गया प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ में संस्था को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनांक 19.3.2013 के द्वारा आवश्यक कार्रवाही करने हेतु अनुरोध किया गया। संस्था द्वारा यह सारा प्रकरण तथ्यों सहित सम्बन्धित बैंक के समक्ष रखा गया परिणामस्वरूप बैंक द्वारा दिनांक 30.3.2013 व 12.3.2013 को कुल ₹187728.00 का अतिरिक्त ब्याज लगाया गया जिसकी सत्यापना अंकेक्षण द्वारा कर दी गई। संस्था द्वारा समय–2 पर आवश्यक जॉच न किये जाने जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में समय–2 बैंक द्वारा दिये गए ब्याज की आवश्यक जॉच अपने स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि छात्र निधि लेखा को किसी प्रकार की हानि न हो।

7 **₹150/–शिक्षण शुल्क को कम जमा करवाने बारेः–**

संस्था के शुल्क एवं निधि प्राप्ति रजिस्टर के अनुसार दिनांक 25.6.2008 को शिक्षण शुल्क की ₹14100.00 की राशि एकत्रित की गई थी परन्तु जॉच में पाया गया कि इसमें से केवल ₹13950.00 की राशि ही चालानों के द्वारा सरकारी कोष में जमा की गई। इस प्रकार ₹150.00 की राशि सरकारी कोष में कम जमा की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें व इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाही करके सम्बन्धित कर्मचारी से इस राशि को वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

समिश्रित निधि

8 **प्रदान अग्रिमों की शेष राशि को विलम्ब से जमा करवाने बारेः–**

वाऊचर संख्या 15 माह 6/2008 के द्वारा प्रस्तुत समायोजन लेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 12.11.2007 को वाऊचर संख्या 19 के माध्यम से ₹3000/– का अग्रिम इन्टर कालेज जुड़ों (M/W) प्रतियोगिता 2007–08 जो माह 11/2007 में

आयोजित की गई थी, के आयोजन पर मात्र ₹1023/–खर्च किये गये तथा शेष राशि ₹1977/–को रसीद संख्या 0017575 दिनांक 9.6.2008 को जमा करवाया गया जबकि नियमानुसार अग्रिम के उद्देश्य पूर्ति के उपरान्त 15 दिन के भीतर शेष राशि जमा करवायी जानी आपेक्षित थी। अतः शेष राशि को 6 माह से अधिक अवधि तक हस्तगत रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शेष राशि को जमा करवाने में हुऐ विलम्ब की अवधि के लिये सम्बन्धित कर्मचारी से ब्याज की वसूली करके छात्र निधि खातों में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से यथाशीध्र इस विभाग को अवगत करवाऐं।

9 <u>दवाईयों का रख–रखाव सही ढ़ंग से न करने बारेः–</u>

वाऊचर संख्या 14 माह 6/2008 के द्वारा मै0 वाटा मैडिकल स्टोर, अप्पर बाजार हमीरपुर से उनके बिल संख्या 237 व 238, दिनांक 3.11.2007 के माध्यम से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रयोग करने हेतु खरीदी गई दवाईयों के सन्दर्भ में ₹17547/–का भुगतान किया गया। स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि खरीदी गई दवाईयों को एक ही पृष्ठ पर दर्ज किया गया तथा उनका क्रमबद्ध तरीके से उपयोगात्मक विवरण न बनाकर मात्र एक प्रमाण पत्र "Consumed during Various events" लिखकर भण्डार शेष शून्य दर्शाया गया है जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता तथा किसी भी प्रकार के दुरूपयोग की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अलग–2 प्रकार की खरीदी गई दवाईयों को स्टाक रजिस्टर में मदवार प्रविष्टि करके उनका प्रयोग घटनावार/तिथिवार वास्तविक उपयोगात्मक विवरण तैयार किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

10 <u>संस्था कार्यालय से सम्बन्धित व्यय को छात्र निधियों में वापस न करने बारेः–</u>

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि छात्र निधियों से संस्था कार्यालय से सम्बन्धित खर्चों का भुगतान इस आशय से किया गया था कि जैसे ही सरकार से आंबटित बजट की राशि प्राप्त होगी, छात्र निधियों से ऋण के रूप में ली गई राशियों को वापिस कर दी जाएगी। लेकिन निम्नलिखित वाऊचरों के द्वारा निकाली गई राशियों को 31.3.2012 तक वापिस नहीं किया गया। अतः छात्र निधियों से ऋण के रूप में ली गई राशियों को यथासमय वापिस न

करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निम्नलिखित राशियों सहित अन्य मासों में लिए गये ऋणों की वापसी भी छात्र निधियों में की जानी सुनिश्चित करें।

वा0सं0	मास/दिनांक	ऋण का उद्देश्य	ऋण की राशि
9	16.6.2008	बिजली बिलों का भुगतान	₹11583
23	2/2010	–यथोपरि–	₹9175
24	2/2010	दूरभाष बिल	₹2403
8	11/2011	बिजली बिल	₹434
14	11/2011	–यथोपरि–	₹12758
25	3/2012	–यथोपरि–	₹15069

11 <u>छात्र निधियों से ₹3402/–का अनुचित भुगतानः–</u>

माह 2/2012 में ₹3402/–का भुगतान मै0 राजेश जनरल स्टोर, हमीरपुर को निम्न विवरणानुसार खरीदी गई किताबों के सन्दर्भ में किया गया। ये किताबें छात्रो के पाठयक्रम से सम्बन्धित न हो कर कार्यालय के सामान्य कामकाज में नियमों की विवेचना करने के लिए उपयोगी थी। अतः उपरोक्त तर्क के दृष्टिगत यह व्यय छात्र निधियों पर वैध प्रभार नहीं था। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इस राशि की भरपाई उचित स्त्रोत से करके राशि छात्र निधियों में जमा करवायी जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

क्र0सं0	किताब का नाम	मद सं0	मूल्य (₹)
1	Pension Compilation	1	280
2	FRSR	1	260
3	FRSR Part IV	1	110
4	FRSR Part III	1	120
5	FRSR Part II	1	185
6	CPF Rules	1	180
7	Leave Travel Rules	1	105
8	G.P.F. Rules	1	130
9	Conduct Rules	1	145

10	CCS, CCA Rules	1	265
11	Medical Attandance Ruless	1	270
12	Swammy Hand Book	1	210
13	HPFR Vol-I	1	400
14	HPFR Vol-II	1	400
15	Financial Administration Vol-I	1	290
16	Financial Administration Vol-II	1	430
	Less Discount 10%		3780
	भुगतान की गई राशि		378
			3402

12 <u>ट्रैकसूट खरीदने पर ₹13585/–का अधिक भुगतानः–</u>

वाऊचर संख्या 16 माह 2/2010 के द्वारा मै0 सीटी सेल्ज 9 P.D. Shoppimg Comples, the Ridge Shimla-1 को उनके बिल संख्या 4473 दिनांक 30.12.2009 के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित दर संविदा के आधार पर खरीदे गये खेलों के सामान के सन्दर्भ में ₹235716.30 का भुगतान किया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त फर्म से खेलों का सामान खरीदने हेतु अतिरिक्त नियन्त्रक भण्डार हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 4-Ind/SP-3(U-01)-44/2008 (56) दिनांक 3.2.2009 के द्वारा अनुमोदित दर संविदा के अनुसार संहिता संख्या 7003–ट्रैक सूट की दर ₹475/– प्रति मद थी जबकि फर्म द्वारा इस मद की दर ₹736.25 लगाकर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया जिसकी कार्यालय स्त्तर पर दरों का मिलान दर संविदा से न करके ट्रैकसूट की 50 मदें खरीदने पर ₹736.25–475=261. 25X50=13062.50+4**%**=₹13585/–का अधिक भुगतान किया गया। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इस राशि की भरपाई उचित स्त्रोत से करके राशि छात्र निधियों में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

13 वाऊचर संख्या 2 माह 11/2011 के द्वारा श्रीमती अंजति वर्मा को वाऊचर संख्या 8 दिनांक 12. 9.11 के माध्यम से दिये गये अग्रिम ₹20000/–के समायोजन लेखाओं की जॉच करने पर पाया गया कि उपरोक्त अग्रिम की राशि ईन्टर कॉलेज यूथ फस्टिवल (एच0पी0यू0) ग्रुप–I जो दिनांक 19.9.2011 से 24.9.2011 तक राजकीय महाविद्यालय, नालागढ़ में आयोजित किया गया, पर खर्च

करने के लिए निकाली गई थी लेकिन निम्नलिखित राशियों का भुगतान इस अग्रिम की राशि में समायोजित करना उचित प्रतीत नहीं होता हैः–

(क) ₹477 / – का भुगतान मै0 ठाकुर ब्रदर्ज, अणु जिला हमीरपुर को उनके बिल संख्या 2479 दिनांक 10.9.2011 के द्वारा लेखन सामग्री खरीदने हेतु किया गया जबकि अग्रिम की राशि 12.9. 11 को आहरित की गई थी। अतः अग्रिम की राशि का आहरण करने से पहले किये गये भुगतान का समायोजन अग्रिम राशि से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा इस राशि की भरपाई उचित स्त्रोत से करके छात्र निधियों में जमा करवाया जाए।

(ख) ₹140 / –का भुगतान मै0 सोहनू राम, परशोतम दास, जैना, तहसील नादौन जिला हमीरपुर को (8 किलोग्राम चावल @₹16.00=128+12 शैम्पूपॉच @₹1=12)=140 खरीदने के लिए किया गया लेकिन सलंग्न बिल में इन मदों को उपयोग करने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया जिसके अभाव में किये गये भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका। किये गए व्यय को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा वसूली करके राशि छात्र निधि में जमा करवाई जाए।

14 <u>रसायनों की खरीद पर ₹14317 / –का अधिक भुगतानः–</u>

वाऊचर संख्या 3 माह 11 / 2011 के द्वारा मै0 रिसर्च रेड इन्स्ट्रूमेन्ट एण्ड सर्विसिज मैन बाजार पालमपुर को उनके बिल संख्या 37201 से 37205 दिनांक 29.8.2011 के माध्यम से ₹145372 / – का भुगतान रसायन सामग्री खरीदने हेतु किया गया। इस सन्दर्भ में विभिन्न फर्मों से प्राप्त निविदाओं में वर्ष 2011–12 के लिए MERCH BRAND की मूल्य सूची में उल्लेखित दरो पर सब से अधिक छूट (Discount) देने वाली उपरोक्त फर्म से रसायन सामग्री खरीदी गई। लेकिन अंकेक्षण पर फर्म द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल में दर्शायी गई दरों व मूल्य सूची का मिलान करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार मदों की दरें बिल में अधिक लगाकर ₹14317 / –का अधिक भुगतान किया गया। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त राशि की भरपाई उचित स्त्रोत से करके राशि छात्र निधियों में जमा करवाकर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

मद संहिता सं0	मद का नाम	खरीदी गई मात्रा	बिल में लगाई गई दर	दर सूची के अनुसार देय दर	अधिक भुगतान (₹)
604760	Iodine-Solid	20x100 grams	₹1745	₹1410 Per पैक्ट	6700
617512	Potasium Iodide	10x500grams	₹5800 Per gram	₹4450 per पैक्ट	13500
				कुल राशि	20200
			Less Discount	32.5%	6565
				योग	13635.00
		Add: Value added tax5%			681.75
		कुल अधिक भुगतान		14316.75 or ₹14317/–	

15 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ₹8880/–का अनियमित/अनुचित भुगतानः–

वाऊचर संख्या 5 माह 11/2011 के द्वारा निम्नलिखित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को माह अक्तूबर 2011 के वेतन का भुगतान किया गया जिसके समर्थन में न तो निर्धारित प्रपत्र पर उपस्थिति नामावली बिल (Mustroll) प्रस्तुत किया गया और न ही प्रस्तावित कार्य का नाम दर्शाया गया। बल्कि हाजरी रजिस्टर के पृष्ठ पर हाजरी लगाकर भुगतान किया गया जिसमें किये गये कार्य की प्रगति रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिसके अभाव में भुगतान की गई राशि को सत्यापित नहीं किया जा सका। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उपरोक्त समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाकर किये गए व्यय को उचित ठहराया जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	जितने दिन का भुगतान किया	दर	राशि (₹)
1	श्री मंगलेश कुमार	31	120	3720
2	श्री अजय कुमार	31	120	3720
3	श्रीमती सिमरो देवी	24	60	1440
			योग	₹8880

16 **समिश्रित निधि से एन0एस0एस0 रूम के लिए अलमारी खरीदने बारेः–**

वाऊचर संख्या 12 माह 11/2011 के द्वारा ₹2860/– का भुगतान मै0 जय ज्वाला स्टील इन्डस्ट्रीज, सुजानपुर जिला हमीरपुर को उनके बिल संख्या 416 दिनांक 28.10. 2011 के माध्यम से एन0एस0एस0 रूम के लिए अलमारी खरीदने हेतु किया गया जिसमे निम्नलिखत अनियमिततायें पाई गईः–

1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दर संविदा की प्रति अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में फर्म को भुगतान की गई राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः आपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

2 खरीदी गई अलमारी के भण्डार इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर मं नहीं दिखाये गये जिस कारण उपरोक्त मद की भण्डार में मौजूदगी होने बारे सत्यापित नहीं किया जा सका। पाठशाला में प्राप्ति को दर्शाए बिना किये गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट किए जाएं व आवश्यक कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

3 समिश्रित निधि से एन0एस0एस0 रूम के लिए अलमारी खरीदने का औचित्य नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुचित प्रकार से किये गए भुगतान की राशि को उचित स्त्रोत से प्राप्त करके समिश्रित निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

17 **म्यूजिक सिस्टम लगाने के सन्दर्भ में अनुचित भुगतानः–**

वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2012 के आयोजन हेतु वाऊचर संख्या 34 दिनांक 20.2.2012 के द्वारा दिये गये अग्रिम के समायोजन वाऊचर का अवलोकन करने पर पाया गया कि मै0 सुरेश म्यूजिक हाऊस, बड़ा तहसील नादौन जिला हमीपुर को म्यूजिक सिस्टम स्थापित करने हेतु ₹7500/– का भुगतान किया गया लेकिन वित्तीय नियमों में किये गये प्रावधान के अनुसार निविदाऐं आमन्त्रित नहीं की गई जिससे न्यूनतम दर पर भुगतान की पुष्टि नहीं हो पाई। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

18 स्टील रौड फ्रेम बनाने पर ₹2604/— का अधिक भुगतानः—

वाऊचर संख्या 16 माह 3/2012 के द्वारा प्रस्तुत समायोजन लेखाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि Group IV H.P. University Yuth Festival जो अवधि 9.11.2011 से 13.11.2011 तक राजकीय महाविद्यालय मण्डी में आयोजित किया गया था, के आयोजन हेतु मै0 सोनी हार्डवेयर स्टोर, बस स्टैंड, भोटा जिला हमीरपुर से निम्नलिखित आकार की तीन स्टील रौड फ्रेमज बनाई गई जिसके लिए ₹14430/—का भुगतान किया गया।

फ्रेमज की सं0	आकार	प्रतिफ्रेम किया गया भुगतान
2	8"x10"	₹3900
1	10"x8"	₹3600

उपरोक्त के सन्दर्भ में प्राप्त निविदाओं की जॉच करने पर पाया गया कि निविदाओं के आधार पर मै0 सोनी हार्डवेयर स्टोर भोटा की दरें सबसे न्यूनतम थी लेकिन फर्म द्वारा निविदाओं में दर्शाये गये आकार से कम आकार की फ्रेमज संस्था को उपलब्ध करवाई गई जिसके आधार पर फर्म को निम्नविवरणानुसार ₹2604/—का अधिक भुगतान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इस राशि की भरपाई उचित स्त्रोत से करके राशि छात्र निधियों में जमा करवायी जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

निविदा के अनुसार फ्रेम का आकार व दर					संस्था को उपलब्ध करवाई गई फ्रेम का आकार व दर			
फ्रेमज की सं0	आकार	चलित फीट	दर	अनुपातिक दर प्रति फुट (₹)	आकार	आकार चलित फीट में	अन्तर चलित फीट में	कुल अधिक भुगतान (₹)
1	10"x12"	44"	3600	81.81	8"X10"	36"	8"	654
2	10"x14"	48"	3900	81.25	8"X10"	36"	12"	1950
					कुल अधिक भुगतान			2604

(ख) उपरोक्त अग्रिम राशि के समायोजन लेखों में डा0आर0सी0 शर्मा को ग्रुप–4 एच0पी0 यूनिवर्सटी यूथ फेस्टिवल जो रा0 महाविद्यालय मण्डी में आयोजित किया गया, में भाग लेने वाले छात्र खिलाड़ियों के साथ जाने के लिए संस्था द्वारा अवधि 8.11.2011 से 11.11.2011 तक अधिकृत किया गया। उनका प्रवास यात्रा कार्यक्रम उपरोक्त अवधि के लिए ही अनुमोदित किया गया था लेकिन यात्रा भत्ता दावा 8.11.11 से 12.11.2011 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया जिसके एवज में ₹794 / –का भुगतान किया गया। अतः प्रवास यात्रा कार्यक्रम 11.11.2011 तक अनुमोदित होने पर दिनांक 12.11.2011 के दैनिक भत्ते के रूप में ₹120 / – के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके छात्र निधि खातों में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

19 देयदरों से अधिक दरें लगाने पर ₹300 / – का अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्या 33 माह 3 / 2012 का अवलोकन करने पर पाया गया कि खेलों का सामान खरीदने के लिए प्राप्त निविदाओं में दी गई दरों से फर्म द्वारा अधिक दरें लगाने के परिणामस्वरूप ₹300 / –का अधिक भुगतान किया गया था। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। आपति उठाए जाने पर रसीद संख्या 0166091 दिनांक 20.3.2013 के द्वारा वसूली कर ली गई।

20 पुस्तकालय प्रतिभूति निधिः–

फर्नीचर खरीदने पर ₹750 / – का अनुचित भुगतानः–

वाऊचर संख्या 5 माह 2 / 2010 के द्वारा राजकीय महाविद्यालय (कन्या) छात्रावास हेतु खरीदे गये फर्नीचर से सम्बन्धित अभिलेख की पडताल करने पर पाया गया कि संस्था में प्राप्त निविदाओं की तुलनात्मक विवरणी के अनुसार फर्नीचर न्यूनतम दर वाली फर्म से न खरीद कर उच्च दर वाली फर्मों से खरीदा गया जिस के कारण ₹750 / – का अनुचित भुगतान किया गया। अतः न्यूनतम दरवाली फर्म से सामान न खरीदने का औचित्य ठोस तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुचित रूप से किये गये भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके छात्र निधियो में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

क्र0 सं0	वस्तु का नाम	खरीदी गई मात्रा	फर्म जिससे सामग्री खरीदी गई	दर	न्यूनतम दर वाली फर्म	दर	अन्तर	कुल अधिक भुगतान
1	Easy Chair	6 नं0	मै0 स्टील वुड ग्रामोद्योग बरोहा हमीरपुर	950	मै0 आदित्य स्टील इन्डस्ट्रीज भूम्पल	900	50	300
2	Office Chair	4 नं0	–यथोपरि–	900	–यथोपरि–	850	50	200
3	Plastic Chair without Arms	25 नं0	मै0 भाटिया इन्टीरियर डैकोरेटर हमीरपुर	305	–यथोपरि–	295	10	250
							योग	750

21 <u>₹70500/– पुस्तकालय प्रतिभूति की वापसी के विरूद्ध ₹35250/– की रसीदें प्रस्तुत करने बारेः–</u>

माह 2/2010 मे पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से छात्रों को वापिस की गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा छात्रों से प्राप्त अनादेय प्रमाण पत्र के अनुसार ₹100/–प्रति छात्र पुस्तकालय प्रतिभूति की राशि वापस की गई दर्शाई है जबकि अनादेय प्रपत्र पर मुद्रित राशि के अनुसार ₹50/– ही प्रति छात्र द्वारा प्राप्त किये गये है। भुगतान करते समय ₹50/– के स्थान पर ₹100/–की राशि की पूर्व में जारी रसीद प्राप्त नहीं की गई जिस के अभाव में मास 2/2010 में 705 छात्रों को ₹100/– प्रति छात्र के हिसाब से ₹70500/–के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अनुपालना हेतु पूर्व में जारी वास्तविक प्राप्ति रसीदों से अगले अंकेक्षण पर पुष्टि करवाई जाए अन्यथा अधिक भुगतान की भरपाई उचित स्त्रोत से करके छात्र निधियों में जमा करवाया जाए।

22 रोबर एण्ड रेंन्जर निधिः–

वाऊचर संख्या 6 माह 11/2011 के द्वारा स्टेट लेबल–निपुन प्रवीन कैम्प जो अवधि 1.10.2011 से 5.10.'2011 तक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में आयोजित किया गया था, का खर्च वहन करने के लिए वाऊचर संख्या 1 दिनांक 1.10.2011 के माध्यम से ₹2000/– के अग्रिम के समायोजन लेखों की जॉच करने पर निम्न वर्णित टिप्पणियॉ आपेक्षित हैः–

(1) अग्रिम की राशि दिनांक 1.10.2011 को निकाली गई लेकिन निम्नलिखित संलग्न बिलों का खर्च अग्रिम राशि लेंने से पहले किया गया जिन पर यह प्रमाणित नहीं करवाया गया था कि "Payment of these bill have been made by me out of my own pocket and this amount has been adjusted out of advance drawn" जिस के अभाव में इन राशियों का समोाजन अग्रिम राशि से करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। अतः इस राशियों का समायोजन अग्रिम से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इनकी भरपाई उचित स्त्रोत से करके छात्र निधियो में जमा करवायी जाए।

दिनांक	फर्म का नाम	जिस सन्दर्भ में भुगतान किया	राशि
19.9.2011	मै0 ग्लोबल हट अनू हमीरपुर	फैक्स	₹30
24.9.2011	–यथोपरि–	फैक्स फोन काल्स	₹52
			₹82

2 ₹1000/– का भुगतान श्री मुकेश कुमार सुपुत्र श्री उधोराम को कन्या छात्रावास में नल व पाईप की फिटिंग के एवज में किया गया। अंकेक्षण पर उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित कोई विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया और न ही इस भुगतान को संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित किया गया था जिस के अभाव में भुगतान की राशि को सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः बिना कार्य विवरण तथा डी0डी0ओ0 के भुगतान हेतु पारित आदेश के बिना भुगतान करने का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की भरपाई उचित स्त्रोत से करके छात्र निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

23 <u>छात्र निधियों से दिये गये अग्रिमों का लेखा सही न होने बारेः–</u>

छात्र निधियों से विभिन्न उद्देश्यों हेतु दिये गये अग्रिमों से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा दिनांक 4.3.2011 से पहले दिये गये अग्रिमों का लेखा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया जिसके अभाव म्रें उपरोक्त दिनांक से पूर्व दिये गये अग्रिमों व उनके समायोजन का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः छात्र निधियों से दिये गये अग्रिमों व उनके समायोजन का पूर्ण विवरण बनाकर सुनिश्चित किया जाए कि सभी अग्रिमों के समायोजन लेखें यथासमय प्रस्तुत किये जा चुके थे तथा असमायोजित अग्रिमों को शीध्र समायोजित करवाया जाए।

24 <u>लधु आपत्ति विवरणीः–</u> इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

25 <u>निष्कर्षः–</u> लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः xi (ii) 87–फिन (एल0ए0) खण्ड–10 दिनांक, 30.9.2013, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर, जिला हमीपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

2. प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002
3. निदेशक शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171001
4. श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा..................

हस्ता/
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.